

# देश में स्वच्छता से बने रतलाम की पहचान

आजादी के अमृत महोत्सव के पांचवे दिन उत्कृष्ट स्कूल में आयोजित समारोह में प्राचार्य सुभाष कुमावत ने कहा, शहर के अलग-अलग स्थानों पर किया गया एक दर्जन से अधिक गतिविधियों का आयोजन

रतलाम 01 अक्टूबर । नगर से महानगर की तरफ बढ़ते रतलाम शहर का नाम सेव, सोना और साड़ी के नाम से पहले ही है, अब हम कुछ ऐसे प्रयास करे कि रतलाम शहर की पहचान स्वच्छता से हो। नगर निगम शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए तमाम प्रयास कर रहा है, अब नागरिक विशेषकर युवा स्वच्छता के प्रति जागरुकता दिखाते है तो वो दिन दूर नही जब हमारा स्वच्छ शहर का सपना साकार हो जाएगा। उक्त विचार सागौद रोड़ स्थित उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य श्री सुभाष कुमावत ने उपस्थित सैकड़ों छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए व्यक्त किए है।

संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देश और नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के कुशल मार्गदर्शन में शुक्रवार को शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में एक दर्जन से अधिक गतिविधियां सफाई मित्र समूह के सहयोग आयोजित की गई है। उत्कृष्ट स्कूल में आज आजादी के अमृत महोत्सव की थीम पर स्वच्छ और सुंदर शहर विषय पर पेंटिंग, ड्राइंग व निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस मौके पर सैकड़ों बच्चों को ज्ञान प्रभारी किरण चौहान ने स्वच्छता की शपथ दिलाई। यहां बच्चों ने श्रमदान कर स्कूल परिसर से कचरा एकत्र कर यहां स्कूली छात्र-छात्राओं के साथ स्कूल स्टाफ ने पौधारोपण भी किया।

आज सुबह श्री कालिका माता मंदिर परिसर स्थित बागीचे व सांस्कृतिक मंच पर विभन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें नागरिकों ने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया। यहां अपशिष्ट सामग्री से तैयार कलाकृतियों का प्रदर्शन कर झोला व बर्तन बैंक की प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस मौके पर बल्क में वेस्ट को जनरेट करने वाले होटल व्यावसायी संजय फुलवानी और पोहावाला परिवार के वरिष्ठ सदस्य श्रेणिक जैन के साथ ही समूह संचालिका अंजू सोनी और लीना परमार का सम्मान किया गया। इस मौके पर कार्यपालन यंत्री सर्वश्री जी.के. जायसवाल, मोहम्मद हनीफ शेख, स्वास्थ्य अधिकारी ए.पी.सिंह, सहायक यंत्री श्री एम.के. जैन, उद्यान पर्यवेक्षक श्री अनिल पारा, ज्ञान प्रभारी सर्वरी किरण चौहान, पर्वत हाड़े, विनय चौहान, सफाई मित्र समूह की टीम, द ग्रीडिंग इण्डिया फाउन्डेशन के सदस्य, श्री राजा ठाकुर, श्री राकेश मीणा आदि उपस्थित रहे।

## डोर टू डोर कचरा संग्रहण की समझाईश

आजादी के अमृत महोत्सव के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग अन्तर्गत शहर परियोजना क्रमांक-2 की वरिष्ठ पर्यवेक्षक एहतेशाम अंसारी के नेतृत्व में सफाई मित्र समूह से जुड़ी सैकड़ों महिलाओं ने अमृतसागर कालोनी व आसपास के इलाकों में डोर टू डोर लोगों को कचरा अलग-अलग डस्टबीन में रखने की समझाईश देते हुए ये भी समझाया कि खुले में कचरा फेंकने से क्षेत्र का वातावरण तो दूषित होता ही साथ ही कई बीमारियों का भी जन्म होता है। इस मौके पर श्रीमती अंसारी ने महिलाओं को स्वच्छता की शपथ दिलाई। यहां नव निर्मित स्वच्छ व सुंदर पोषण वाटिका के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अनिता झालीवाल का सम्मान भी किया गया।

## कचरा फेंकने वालों से ही कचरा उठवाया

इधर सफाई मित्र समूह की टीम के सदस्यों ने आज चांदनी चौक, लकड़पीठा, ईदगाह रोड़, बाजना बस स्टेण्ड, गौशाला रोड़, नीम चौक, हरदेवलाला की पीपली, शहर सराय, हाट रोड़ व आसपास के क्षेत्रों के मकान और दुकानदारों से अनुरोध किया कि अपने घर या दुकान का कचरा खुले में नही फेंके। इस दौरान गौशाला रोड़ स्थित एक स्कूल के पास

कचरा फेंक चुके एक युवक से कचरे की थैली वापस उठवाई और उसे कचरा संग्रहण वाहन में कचरा डालने की हिदायत भी दी गई।

## **1 अक्टूबर को 1 मिट्रिक टन से अधिक कचरा जुलवानिया पंहुचा नगर से निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन किया जा रहा है वजन**

रतलाम 01 अक्टूबर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़को व नाले-नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया जा रहा है जिसके तहत 01 अक्टूबर शुक्रवार को 1 मिट्रिक टन से अधिक कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया गया।

01 अक्टूबर शुक्रवार को डम्पर से 57570, ट्रेक्टर से 12715, काम्पेक्टर सूखा कचरा 26510 व गीला कचरा 22480 किलो इस तरह कुल 119225 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पंहुचाया गया।

## **2 अक्टूबर गांधी जयंती पर पशु वध करना, मटन विक्रय प्रतिबंधित**

रतलाम 01 अक्टूबर । मध्यप्रदेश शासन के आदेशानुसार आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर नगर सीमा में स्थित समस्त पशु वध गृह एवं मांस विक्रय की दुकानों पर पशुवध करना, मटन, गौशत विक्रय करना अथवा बेचना निषेध किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने संबंधित स्वच्छता निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि उक्त दिवसों को पशु वध करते या मटन गौशत विक्रय करते पाया जाये तो संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाये।

## **नो पार्किंग में खड़े 5 वाहनों को जब्त कर वसूला जुर्माना**

रतलाम 01 अक्टूबर । नगर में ऐसे नागरिक जो कि अपने वाहनों को नो पार्किंग में खड़ा कर यातायात व्यवस्था को बाधित करते हैं, उनके वाहन जब्त कर जुर्माना वसूलने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार चलाई जा रही है जिसके तहत 01 अक्टूबर शुक्रवार को नो पार्किंग में खड़े 5 वाहनों को नगर निगम की क्रन से जब्त कर संबंधितों से जुर्माना वसूला गया।

निगम आयुक्त श्री झारिया के निर्देशानुसार 01 अक्टूबर शुक्रवार को गुमानसिंह-लालू नाहरपुरा व धर्मेन्द्र कोठारी डालू मोदी बाजार पर 500-500, अंतिम-औंकार पाटीदार धानमण्डी, वैभव मूणत, अर्पित मेघवंशी चांदनी चौक पर 200-200 रूपये का जुर्माना किया गया।

## **नगर निगम के आईटी सेल में बनाये जा रहे हैं आयुष्मान कार्ड**

रतलाम 01 अक्टूबर । आयुष्मान भारत "निरामयम" योजना अन्तर्गत रतलाम नगर के पात्र हितग्राहियों के निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य नगर निगम के आईटी सेल कार्यालय में कार्यालयीन समय में बनाये जा रहे हैं इस हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने अधिकारी एवं कर्मचारियों की नियुक्ति की है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि गरीब एवं असहाय परिवारों पर बीमारियों पर खर्च होने वाले आर्थिक बोझ एवं गुणवत्तापूर्वक इलाज समय पर उपलब्ध कराये जाने हेतु आयुष्मान भारत "निरामयम" याजना के तहत नगर के शेष रहे पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड नगर निगम के विकास शाखा स्थित आईटी सेल में बनाये जा रहे हैं।

आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों को निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया है कि रतलाम नगर के शेष रह हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड

निःशुल्क बनाये जाना है। पात्र हितग्राहियों और उनके परिवार सदस्यों का पंजीयन किये जाने हेतु आधार कार्ड व समग्र आईडी दस्तावेज के रूप में लिये जावें।

## **1467 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए स्वरोजगार ऋण से 27 हितग्राही हुए लाभान्वित पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें**

रतलाम 01 अक्टूबर । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होंने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के ज्ञोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु राशि रूपये 10,000/- ब्याज मुक्त ऋण हेतु 3373 हितग्राहियों द्वारा आवेदन पस्तुत किये गये है जिसमें से 1705 आवेदन स्वीकृत किये जा चुके है तथा 1427 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है। इसी तरह द्वितीय कार्यशील पूंजी हेतु राशि रूपये 20,000/- ब्याज मुक्त ऋण हेतु 58 हितग्राहियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये गये है जिसमें से 51 आवेदन स्वीकृत किये जा चुके है तथा 38 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में नगर पालिक निगम निगम रतलाम को 150 के प्राप्त लक्ष्य के तहत 209 प्रकरण प्राप्त हुए जिसमें से 35 प्रकरण स्वीकृत हुए तथा 25 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में नगर पालिक निगम निगम रतलाम को 5 के प्राप्त लक्ष्य के तहत 3 प्रकरण प्राप्त हुए जिसमें से 2 प्रकरण स्वीकृत हुए तथा 2 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

## **अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही 15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राशि होगी वसूल**

रतलाम 01 अक्टूबर । शहर की मुख्य सड़के सैलाना रोड, सागोद रोड, महू रोड, स्टेशन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देशित किया है शहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जाये।

नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

### **डेंगू से बचाव हेतु प्रत्येक झोन में एक-एक डबल बैरल फॉगिंग मशीन से कीटनाशक दवा का छिड़काव निरंतर जारी**

रतलाम 01 अक्टूबर । कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नागरिकों को मच्छर जनित डेंगू व मलेरिया जैसी बीमारी से बचाव हेतु नगर प्रत्येक झोन में एक-एक डबल बैरल फॉगिंग मशीन से कीटनाशक दवा का छिड़काव का कार्य निरंतर जारी है।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने इस अवसर पर बताया कि शहर में बढ़ रहे डेंगू व मलेरिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों पर नियंत्रण हेतु कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार प्रत्येक झोन में एक-एक डबल बैरल फॉगिंग मशीन से नगरनिगम व मलेरिया विभाग द्वारा रूट चार्ट अनुसार सुबह 05:30 से 08:00 बजे तक व शाम को 06:00 से रात 10:00 बजे तक किया जा रहा है साथ ही प्रत्येक वार्ड में एक-एक हैण्ड स्प्रे मशीन से भी कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जा रहा है।

### **नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें**

रतलाम 01 अक्टूबर । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना 2019 संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों, दुकानदारों, व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं हों। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

### **गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही**

रतलाम 01 अक्टूबर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारो व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

*वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही*

रतलाम 01 अक्टूबर । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डों की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले-नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/01.10.2021/न.पा.निगम, रतलाम.